न्यायालयः **सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम., हसनपुर,** अमरोहा

उपस्थितः राघवेन्द्र मणि, उ०प्र०न्यायिक सेवा

दण्डवाद सख्या– १६३२/२०१०

राज्य.....प्रति.....

१. आलम पुत्र बाबू कुरैशी

२. फईम पुत्र बाबू कुरैशी

निवासीगण मौहल्ला कुरैशियान कस्बा व

थाना हसनपुर, ज्योतिबाफुले नगर

धारा ३२३,३२४,५०४ भा.द.स.

थाना हसनपुर, जनपद अमरोहा।

अपराध सं. १२९०/२०१०

निर्णय

प्रस्तुत अपराधिक वाद थाना हसनपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण आलम व फईम के विरूद्ध धारा ३२३,३२४,५०४ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुए संस्थित किया गया।

संक्षेप मे अभियोजन पक्ष का कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मौहम्मद अफजाल द्वारा थाना हसनपुर पर दिनांक ३०.०६.२०१० को जबानी सूचना इस आशय की दी गयी कि वादी मुकदमा की खंकर वाला कुआ पर मीट की दुकान है। मुल्जिमान की दुकान भी बराबर में है। मेरे ग्राहक तोड़ते हैं। बदमाश किस्म के हैं। आज भी मेरी दुकान पर ग्राहक आये तो मुल्जिमान ने अपनी दुकान पर बुला लिया। मैंने एतराज किया तो मुझे गन्दी–गन्दी गालियां देने लगे। गाली देने को मना किया तो तथा बचाने आरिफ आया तो उसे भी मारपीट किया। आस पास के लोगों ने हमें बचाया।

वादी मुकदमा की उपरोक्त जबानी सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाना हसनपुर पर अभियुक्तगण आलम व फईम के विरूद्ध धारा ३२३,५०४ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एन.सी.आर.संख्या ८१/२०१० दर्ज की गई। प्रकरण में विवेचना के दौरान वादी की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के आधार पर धारा ३२४ भारतीय दण्ड संहिता की वृद्धि की गयी तथा प्रकरण को अपराध संख्या १२९०/२०१० पर दर्ज किया गया।

मामले में विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण आलम व फईम के विरूद्ध धारा ३२३,३२४,५०४ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये, उन्होंने अपनी जमानतें कराईं और तदोपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक १६.०३.२०१६ को धारा ३२३,३२४,५०४ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। वादी मुकदमा अफजाल की दौरान विचारण मृत्यु हो चुकी है।

अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्लू–१ मौहम्मद अनवर, पी.डब्लू–२ शारिक तथा पी.डब्लू ३ मौहम्मद आरिफ को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई साक्षी अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित नहीं कराया गया है तथा शेष साक्षीगण को अभियोजन द्वारा संस्तुत

प्रार्थना पत्र पर साक्ष्य से उन्मोचित किया गया।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा ३१३ दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने घटना को गलत बताया तथा अपनी सफाई एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य की औपचारिक प्रमाणिकता बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गई।

मैंने बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियुक्तगण के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२३,३२४,५०४ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है जिसे पूर्ण एवं सन्देह से परे साबित करने का भार पर अभियोजन पक्ष पर है।

अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित कराये गये साक्षी पी.डब्लू–१ मौहम्मद अनवर के द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते हुए अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक ३०.०६.२०१० को हाजिर अदालत मुल्जिमान आलम व फहीम ने मेरे सामने न तो मेरे भाई अफजाल के साथ मारपीट की तथा न ही गाली गलौंच की। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया। अपने प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने धारा १६१ दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों से इन्कार किया तथा आगे कथन किया है कि यह कहना सही है कि मुल्जिमान मेरे पड़ौसी हैं। इनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मेरे भाई अफजाल की मृत्यु लगभग दो–तीन साल पहले हो चुकी है। मुल्जिमान का उनसे कोई झगड़ा हुआ तो मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि पड़ौसी होने के नाते मुल्जिमान को बचाने के लिये झूंठा बयान दे रहा हूं। मुझे नहीं पता इस मुकदमे में गवाह किसने बना दिया।

अभियोजन साक्षी पी.डब्लू–२ शारिक ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक ३०.०६.२०१० को मैंने हाजिर अदालत मुल्जिमान आलम व फईम को न तो किसी को मारपीट करते देखा तथा न ही किसी के साथ गाली गलौंच करते देखा। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अपने धारा १६१ दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों से इन्कार किया तथा आगे कथन किया कि यह कहना गलत है कि मुल्जिमान से मिलकर उन्हें बचाने के लिये सही बात न बता रहा हूं।

अभियोजन साक्षी पी.डब्लू–३ मौ० आरिफ ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक ३०.०६.२०१० को मेरे साथ किसी ने गाली गलौंच व मारपीट नहीं की। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि दिनांक ३०.०६.२०१० को मेरे सामने अफजाल व आरिफ में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। साक्षी ने अपने धारा १६१ दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों से इन्कार किया।

अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित कराये गये सभी साक्षीगण पक्षद्रोही हैं। साक्षी पी.डब्लू–३ मौ०आरिफ ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा

में यह स्वीकार किया है कि घटना की दिनांक को उसके साथ किसी ने गाली गलौंच व मारपीट नहीं की तथा साक्षीगण पी.डब्लू–१ अनवर व पी.डब्लू–२ शारिक ने यह स्वीकार किया है कि उनके सामने आलम व फहीम ने किसी के साथ न तो मारपीट की तथा न ही गाली गलौंच की। इसके अतिरिक्त साक्षीगण पी.डब्लू–१ अनवर, पी.डब्लू–२ शारिक व पी.डब्लू–३ आरिफ के पूर्वोक्त बयानों के पक्षद्रोही होने के कारण अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है तथा वादी मुकदमा अफजाल की मृत्यु हो जाने के कारण उसे न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया जा सका है। इस प्रकार अभियोजन की तरफ से परीक्षित कराये गये तीनों साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। यद्यपि अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से अभियोजन अभियोजन अभिलेखों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है, किन्तु मात्र अभियोजन अभिलेखों की औपचारिक सत्यता स्वीकार कर लेने से अभियोजन कथानक साबित नहीं माना जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय की राय में अभियोजन पक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में विफल रहा है।

निष्कर्षतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण आलम व फहीम को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा ३२३,३२४,५०४ भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त मामले में जमानत पर है। धारा ४३७–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दाखिल जमानत नामें व बंध पत्र निर्णय की तिथि से ६ माह की अवधि तक प्रभावी रहेगें। तत्पश्चात किसी प्रतिकूल आदेश के अभाव में उन्मोचित समझे जायेगें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

३०.०९.२०१६

(राघवेन्द्र मणि)
सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम.
हसनपुर
३०.०९.२०१६

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

३०.०९.२०१६

(राघवेन्द्र मणि)
सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम.
हसनपुर
३०.०९.२०१५